UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग
Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 804 / 10LA दिनांक 09/06/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर चमोली।

विषय:– जनपद चमोली में सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./1836 दिनांक 03.12.2028 इस कार्यालय का पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 एवं पत्रांक 2281/10एल.ए. दिनांक 06.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./945 दिनांक 07.05.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15.10.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नौली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गयाा है। अतः राज्य सरकार CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML file को ऑन लाईन वैब पोर्टल के पैरा L के पार्ट । तथा पैरा 13 के पार्ट ।। पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि संशोधित का किया जा सके।	वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त CA scheme, ownership proof उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप व KML file को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
2	बिन्दु संख्या 06 एवं 07 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा georeferenced digital map, of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं Ghandiyal की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार georeferenced digital map, of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं Ghandiyal की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त FRA से सम्बन्धित मूल दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है। तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व मे प्रेषित की जा चुकी है।
3	बिन्दु संख्या 08 के जवाब में राज्य सरकार VLC proceeding of village 'Khandura' की मूल प्रति को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड करेगी।	खण्डूरा ग्राम धारकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है धारकोट की VLC में खण्डूरा ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रमाण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो की अनुपालन आख्या तैयार कर ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित।

09.06.2025

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक / दिनांकित्

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियन्ता सातवॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।

SCAN AnyScanner

9-3/2018

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.898 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0--08बी/यू0सी0पी0/06/217/2016/एफ0सी0/945 दिनांक 07.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम नौली,** प0वृ0 थापली, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–12 के खसरा सं0–126 रकवा 5.086 है0 मध्ये 2.898 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी--10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 3179/छब्बीस-- 12 (2017–2018) गोपेश्वर: दिनांक: 3 ~~जनवरी~~ मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

Photo copy attested

जिलाधिकारी,
चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

P.T.O.

AnyScanner
AnyScanner

NZA खतौनी नकल ग्राम नौली रा० उ०नि०क्षेत्र पखी त० कर्णप्रयाग
जिला चमोली

2	3	4	5	
श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से	अंकुलात			
भीटा				
	2	7.248		आदेश श्रीमान् जिला अधिकारी महोदय (चमोली) के आदेश सं० 3179/ छब्बीस-12 (2017-2018) आदेश दिनांक 2 मार्च 2018 के अनुसार ग्राम नौली की खाता सं० 12 के खसरा नं० 126 रकबा 5.086 मध्ये 2.399 हे० भूमि सिमली चूलाकोट स्वामी के हिस्से से ग्राम व्यासी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रतिकरात्मक रोपण के क्रम में वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण हस्तान्तरण की जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 273/X-111 (1)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में मुताबिक आदेश खतौनी से दर्ज किया ह० 2/3.18 रा० उ०नि० पखी
	71	0.553		
	78	0.013		
	81	0.010		
	126	5.086		
	241	0.065		
	312	0.029		
	325	0.008		
	375	0.060		
	413	0.018		
	450	0.030		
	613	0.024		
	617	0.083		
	622	0.014		
	646	0.020		
	693	0.373		
	704	0.039		
	799	0.095		
	19	13.996		

प्रमाणित / NZA खतौनी नकल असल से की गयी

(मुहर) राजस्व ... (चमोली) ... 6.4.18

Photocopy attested

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
... लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

C.S.
10/04/2018
... अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

डिजिटल मैपः–सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

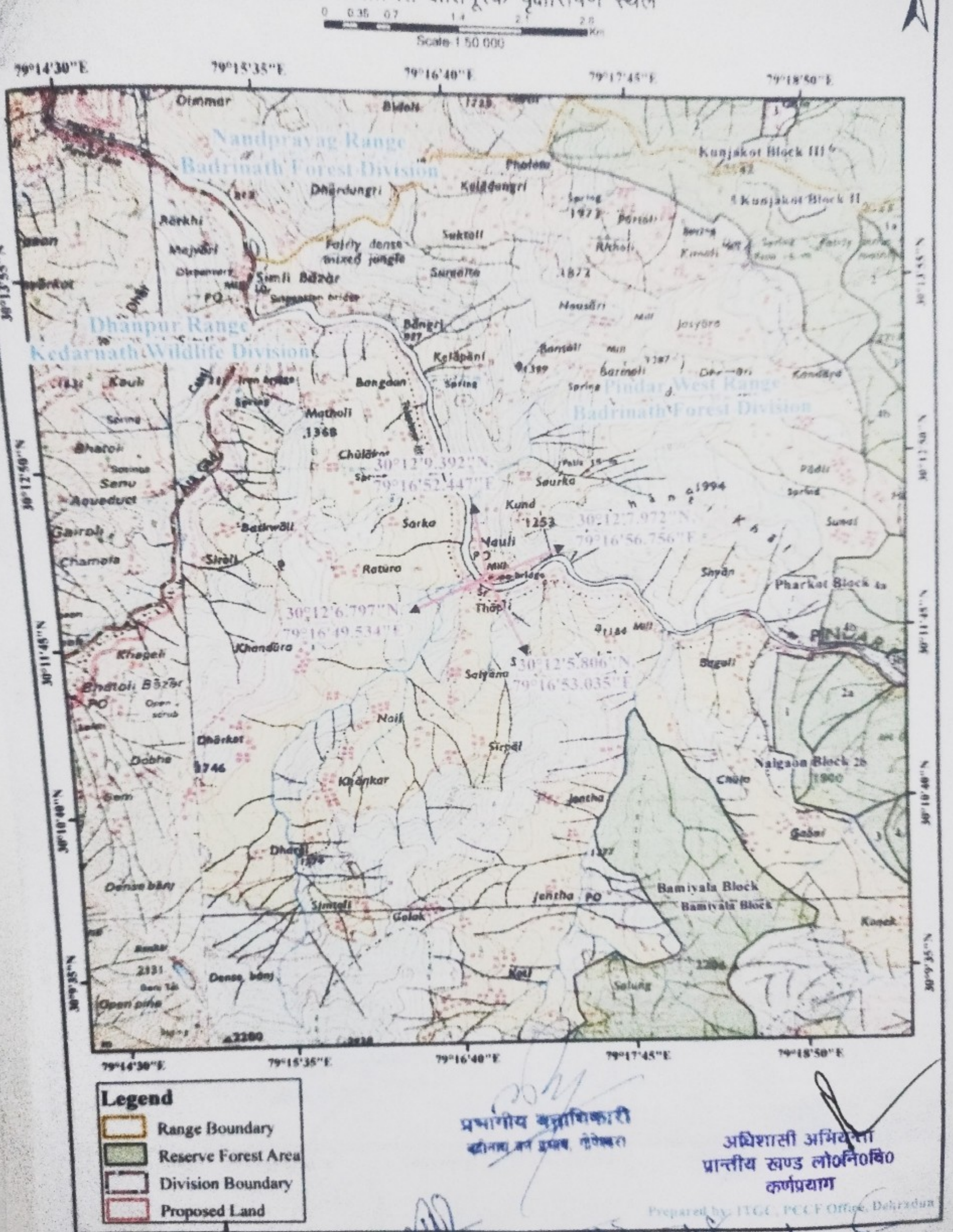

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

AnyScanner

AnyScanner

रफरेन्स मैपः- सिमली-चूलाकोट मो... मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

Scale 1:2,000

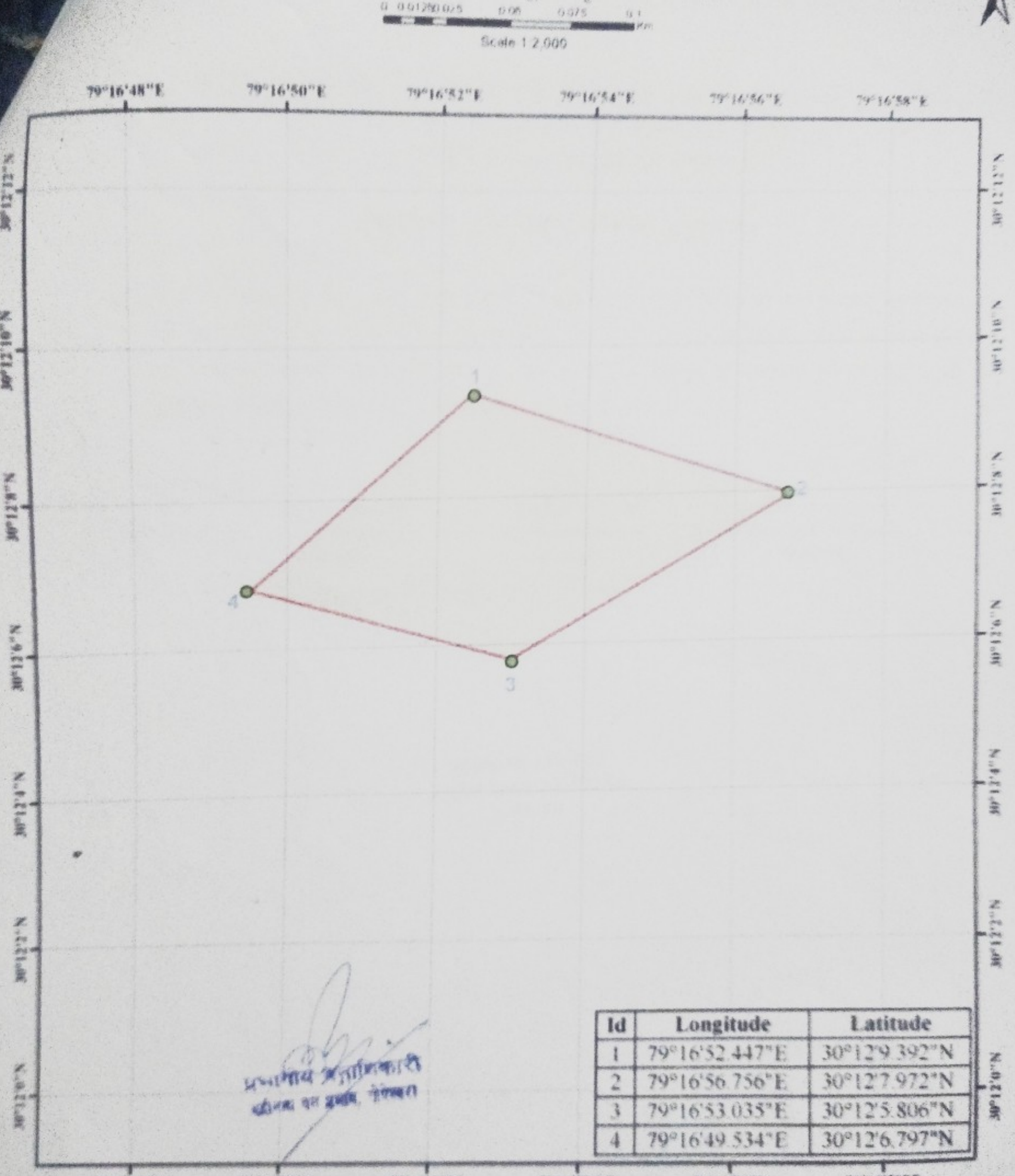

Id	Longitude	Latitude
1	79°16'52.447"E	30°12'9.392"N
2	79°16'56.756"E	30°12'7.972"N
3	79°16'53.035"E	30°12'5.806"N
4	79°16'49.534"E	30°12'6.797"N

Legend
- GPS coordinates
- Proposed Land

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

Prepared by: IFGE, PCCF Office, Dehradun

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

AnyScanner
AnyScanner

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण में वन विभाग द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

AnyScanner
AnyScanner

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण के पश्चात सडक के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

AnyScanner
AnyScanner

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में सिमली —चूलाकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 11 से ग्राम बनियास तक निर्माण हेतु 1.449 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के पश्चात सडक के दोनो तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

AnyScanner

फाइल नम्बर...
क्रम संख्या.... 591....
प्राप्ति तिथि 01/07/2024

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम : – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – ऐरवाड़ी
तहसील– कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य/परियोजना के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.196 हे0 , अर्थात कुल 0.196 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी द्वारा दिनांक 11.11.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एरवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम अधिकारी पंचायत– ... (...)
वि0 खण्ड– कर्णप्रयाग

ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

RW 591/2070 DT 01/7/24

प्रतिलिपि – ... अधिशासी अभियन्ता ... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AnyScanner
AnyScanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11-11-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	भगवती प्रसाद	
02	सुमन सिंह गुसाईं	
03	रतन सिंह	रतन सिंह
04	नरेन्द्र सिंह नेगी	
05	खीमानन्द	
06	Khushal Singh Gusain	
07	UMED Singh	
08	Gambhir Singh	
09	Rakesh Singh	
10	सतसिंह	
11	दिगम्बर सिंह	
12	त्रिलोक सिंह	
13	Hayat singh	
14	RAKESH SINGH	
15	नतन सिंह	
16	महिपाल सिंह	

प्रधान ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी
ह0
दिनांक 11/11/2022
वि0 ख0– कर्णप्रयाग (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान

AnyScanner
AnyScanner

फाइल नम्बर 3517.0
क्रम संख्या 605
प्राप्ति तिथि 02.07.24

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम : – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – धारकोट
तहसील– कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य/परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम खण्डुड़ा की सिविल सोयम भूमि 0.325 हे0 , अर्थात कुल 0.325 हे0 एवं ग्राम बनियास की सिविल सोयम भूमि 0.212 हे0 , अर्थात कुल 0.325 हे0 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खण्डूडा द्वारा दिनांक 11-11-2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खण्डूडा, बनियास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– ……
वि0 खण्ड– ……
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत धारकोट
ह0/–

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Rno. 605 / ज0अ0 05-07/2024
प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता ……

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11-11-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	सुनील कुमार	[signature]
02	सुदामा लाल	[signature]
03	किशोर कुमार	[signature]
04	बलवीर लाल	बलबीर लाल
05	राकेश कुमार	[signature]
06	रघुवीर लाल	Ragbeer lal
07	मनोज लाल	[signature]
08	आशिष कुमार	Ashish
09	जसपाल लाल	[signature]
10	मनोहर कुमार	MANOHAR Kumar
11	कुन्दन लाल	कुन्दन
12	कुणाल लाल	कुणाल
13	सतोश कुमार	
14	महावीर लाल	महावीर लाल
15	विजय कुमार	[signature]
16	हरीश लाल	हरीश लाल
17	माहेश्वरी देवी	माहेश्वरी देवी
18	रमेश लाल	Ramesh
19	सुमित	सुमित
20	हिमांशु	Himanshu

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत धारकोट

ह0/–

ग्राम प्रधान

AnyScanner

AnyScanner

प्राप्ति तिथि..01/07/2024
क्रम संख्या.....590....

प्रारूप--30.3

परियोजना का नाम : -- जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली--चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -- घण्ड़ियाल
तहसील-- कर्णप्रयाग, जिला--चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सिमली--चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु हे0 सिविल सोयम/वन पंचायत भूमि अर्थात कुल हे0 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घण्ड़ियाल द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घण्ड़ियाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/--
ग्राम सचिव

ह0/--
ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... कर्णप्रयाग (चमोली))

नोट :-- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारूप—30.4

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत घण्ड़ियाल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री पालेश्वर सिंह	[illegible]
02	" कृतान सिंह कोटियाल	9568128638
03	" सुजान सिंह	[illegible]
04	" विनोद सिंह	
05	" सुरेन्द्र सिंह	SS Rawat
06	" प्रदीप सिंह रमोला	
07	" जोत सिंह	जोत सिंह
08	" महावीर सिंह	[illegible]
09	" भवान सिंह	
10	" हीरा सिंह	[illegible]
11	" भवान सिंह नेगी	[illegible]
12	" मनोज सिंह	Manoj
13	" भरत सिंह नेगी	[illegible]
14	" नारायण सिंह	नारायण सिंह
15	" फतेह सिंह	[illegible]
16	" नरेन्द्र सिंह	
17	अजय सिंह	Ajay
18	नवीन तोमर	[illegible]
19	Manoj Kumar	Manoj Kumar
20	Balwant [illegible]	[illegible]

21 Pramod Mani — [illegible]

22 आनन्द सिंह नेगी [illegible]

23. शिशपाल [illegible]

24 MOHAN SINGH B. BHIST [illegible]

25 अमित सिंह [illegible] 60/-

26 Amit Negi [illegible]

27 " यशवन्त कठैत Y Barthwal

28 " सुरेन्द्र कठैत [illegible]

ग्राम प्रधान
Y Singh Rawat
ग्राम पंचायत ... कर्णप्रयाग (चमोली)

RTGS CHALLAN

BANK COPY

- NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-11-2017

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6197860215
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.-Cham Chamoli
Amount(in Rs)	1686149/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Six Thousand One Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896197860215
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

y send a line of confirmation through

भारतीय स्टेट बैंक, कर्णप्रयाग-02385
पी०एफ०न०-5990394
20 DEC 2017
Sandeep Singh
रोकर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

015215

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनांक/Date...19.12.2017...

Received From...Ex. Engineer Prantiya Division
P.W.D. Karan Prayag

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on:...631490 Dt 19.12.17.........से प्राप्त किया

बैंक/Bank: ...Corporation Bank

शाखा/Branch: ...F.C.S. Bangalore

के पक्ष में/Favouring ...Uttranchal Paint...

आईएफएससी कोड/ IFSCCode: C O R P 0 0 0 0 6 3 3

खाता संख्या/Account No: 1 5 0 8 9 6 1 9 7 8 6 0 2 1 5

राशि (रुपये)/Amount Rs.	1686149 - -
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.	
योग /Total Rs.	1686149 - -

राशि/Rupees(in words): (Rs. Sixteen lac Eighty Six thousand one hundred fourty Nine only)

SBIN R 52017122000027824

भारतीय स्टेट बैंक
20 DEC 2017
Sandeep Singh
टेलर

Sandeep
टेलर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

015215

1/1

…/9786/2015 …ction of Baniyash Road from Simli …ot Motor Road in …1	ROAD97862015215	619786021507	07 Sep 2017	**CA:** 734156/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 951993/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1686149/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Nov 2017 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 14 Nov 2017 **Transaction Date** : 20 Dec 2017	Demand Letter Generated Challan

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

AnyScanner